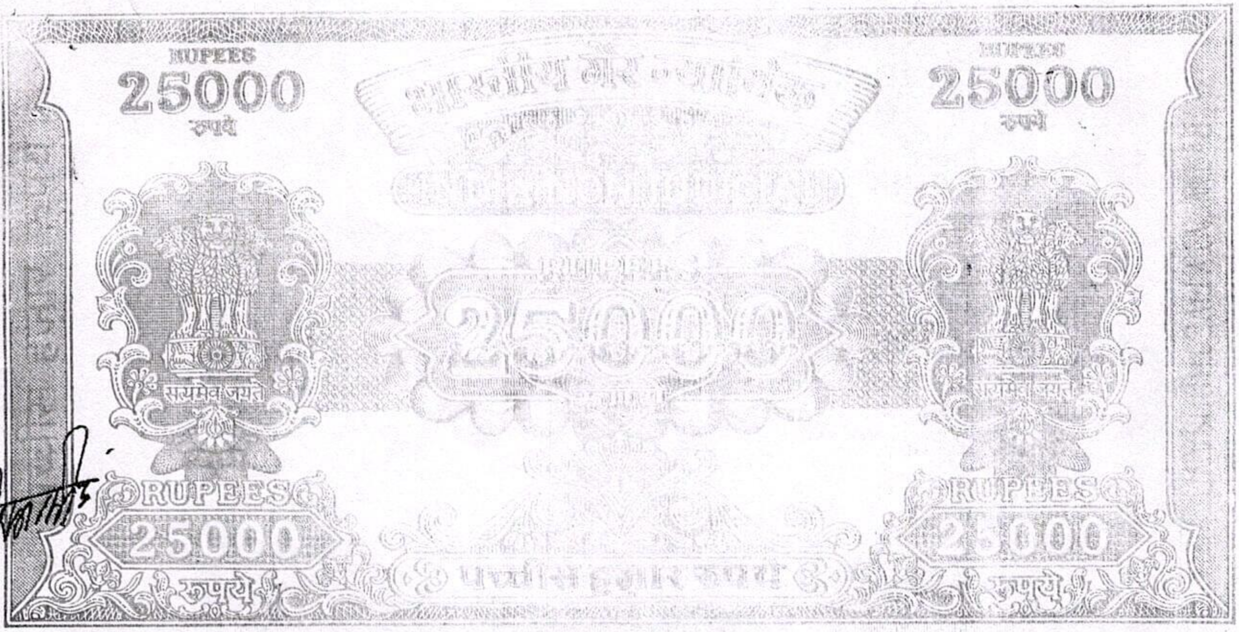

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

116977

विक्रय–पत्र अंकनः 3,70,563/–रूपये।

मालियत बाजारी अंकनः 12,75,100/–रूपये।

स्टाम्प शुल्क अंकनः 1,28,000/–रूपये।

विक्रय–पत्र ओर से **श्रीमती मायादेवी** धर्मपत्नी स्व0 धर्म सिंह निवासी ग्राम शेरगढ़ी परगना व तहसील व जिला मेरठ व **श्रीमती राजो देवी** पुत्री स्व0 श्री धर्मसिंह व पत्नी श्री बिजे सिंह निवासी ग्राम मसूरी परगना व तहसील व जिला मेरठ व **श्रीमती सुशीला देवी** पुत्री स्व0 श्री धर्म सिंह व पत्नी श्री राजकुमार निवासी ग्राम दान्दूपुर परगना व तहसील व जिला मेरठ व **श्रीमती उर्मिला** पुत्री स्व0 श्री धर्मसिंह पत्नी श्री आनन्द प्रकाश निवासी सरायकाजी परगना व तहसील व जिला मेरठ व **श्री नरेश कुमार** पुत्र

क०सं० 294 दि० 27.3.6 मूल्य 25,000/- का स्टाम्प (28000/-

श्री सियाराम कस्तूरी देवी संयुक्त मेस सोसायटी, मेरठ द्वारा श्री सुधीरकुमार ।

को वास्ते ...बैनामा... विक्रय किया गया ।

ह०
ए.कडिया
कोषागार, मेरठ

बही 370563 / 127510

शुल्क ...... तुल्कल शुल्क २० .... 5020 ......

श्री/श्रीमती ...... पुत्र/पत्नी/पुत्री ......

निवासी ......

ने यह ...... प्रलेख में आज

दिनांक 27.3.06 को ...... बजे के

निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक प्रथम
27.3.06

निष्पादन का सुन ......

श्री ......

श्री ......

श्री ......

27/3/06

रजीला

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

सत्यमेव जयते

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

116976

स्व0 श्री धर्म सिंह निवासी ग्राम शेरगढी परगना व तहसील व जिला मेरठ व **पूजा रानी** पुत्री स्व0 श्री धर्म सिंह सभी हिन्दू व व्यस्क है तथा निवासी ग्राम शेरगढी फरगना व तहसील व जिला मेरठ ------------------------------------: प्रथम पक्ष (विक्रेता)।।

व

श्री गोपाल माहेश्वरी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी 1, चाणक्यपुरी, मेरठ शहर :--: द्वितीय पक्ष (सहमति पक्षकार)।।

व

सियाराम कस्तूरी देवी एजूकेशनल सोसायटी, 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट द्वारा सचिव **श्री सुधीर शर्मा** पुत्र श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट :--: तृतीय पक्ष (क्रेता) ।।

पूजा रानी

क्र०सं० 295. दि० 27.3.06. मूल्य 25000/ शामिल सं० 294
मे शामिल किया गया ।

रा० कौडिया
कोषागार, मेरठ

उत्तर प्रदेश

27-3-06

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

सत्यमेव जयते

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   J16975

जोकि 1058.75 वर्ग गज भूमि (एक हजार अठावन दशमलव सात पाँच वर्ग गज भूमि) अथवा 885.24 वर्ग मीटर भूमि (आठ सौ पिचासी दशमलव दो चार वर्ग मीटर भूमि) यानि कुल हक व हिस्सा धर्म सिंह उपरोक्त मिनजुमले खसरा 6316 स्थित कस्बा मेरठ निकट रामापुरम कालोनी / सूर्योदय विहार, मेरठ शहर के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी है श्री धर्म सिंह पुत्र श्री बूचा ने उपरोक्त भूमि को विक्रय करने का सौदा द्वितीय पक्ष से द्वारा इकरारनामा माहिदा बय दिनांक 28.01.1991 रजिस्ट्रीशुदा कि जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 खण्ड 250 के सुफे 299 / 306 में नम्बर 978 कार्यालय उप–निबन्धक, मेरठ हुई, तय कर रखा है । उपरोक्त भूमि परगनाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 22.01.1991 के द्वारा जो अन्तर्गत धारा 143 यू0पी0 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत पारित हुआ है तथा उसकी पुष्टि माननीय राजस्व परिषद उत्तर

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

सत्यमेव जयते

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

JJ6974

प्रदेश इलाहाबाद ने सन्दर्भ संख्या 7/92–93 चेतू आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 14.10.1992 को कर दी, आबादी घोषित कर दी । श्री धर्म सिंह का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2003 ई0 को हो चुका है तथा उनके स्वर्गवास के बाद प्रथम पक्ष उनके उत्तराधिकारी है और प्रथम पक्ष को उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में समस्त अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उऋण तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों आदि से मुक्त एवं रहित है तथा उपरोक्त भूमि को किसी वित्तीय संस्था एवं बैंक आदि में बन्धक अथवा भारग्रस्त नहीं किया हुआ है अर्थात उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक हर तरह से पाक व साफ है। उपरोक्त इकरारनामा माहिदा बय के अनुसार द्वितीय पक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपरोक्त भूमि का विक्रय प्रथम पक्ष से अपने अथवा अपने मनोनीत व्यक्ति के पक्ष में

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 116973

:: 5 ::

निष्पादित करा रजिस्ट्री करा लें, उन्हीं अधिकारों की बिनाह पर द्वितीय पक्ष ने तृतीय पक्ष क्रेता के पक्ष में विक्रय–पत्र निष्पादित कराने की इच्छा प्रथम पक्ष से व्यक्त की है जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है तथा इस विक्रय–पत्र का मूल्य द्वितीय पक्ष तृतीय पक्ष क्रेता से प्राप्त कर रहे है, इसलिए द्वितीय पक्ष को सहमति पक्षकार बनाया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुये किसी स्वत्व एवं अधिकार के, चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्वस्थ मस्तिष्क एवं निर्मल इन्द्रियों की दशा में अंकनः 3,70,563/–रूपये (तीन लाख सत्तर हजार पाँच सौ तरेसठ रूपये) विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते **सियाराम कस्तूरी देवी एजूकेशनल सोसायटी, 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट द्वारा सचिव श्री सुधीर शर्मा पुत्र श्री**

S Sharma

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

057219

गजेन्द्र शर्मा निवासी 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट तृतीय पक्ष को विक्रय कर दिया और बेच ड़ाला और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने तृतीय पक्ष क्रेता से निम्न प्रकार प्राप्त करके विक्रीत भूमि को अपने अधिकार तथा प्रथम पक्ष के स्वामित्व आदि से निकालकर तृतीय पक्ष क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब विक्रेता का कोई स्वामित्व या अधिकार विक्रीत भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित एवं वैधानिक है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रीत भूमि का कतई खाली का स्थल पर तृतीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा तृतीय पक्ष क्रेता ने उपरोक्त

1000Rs.

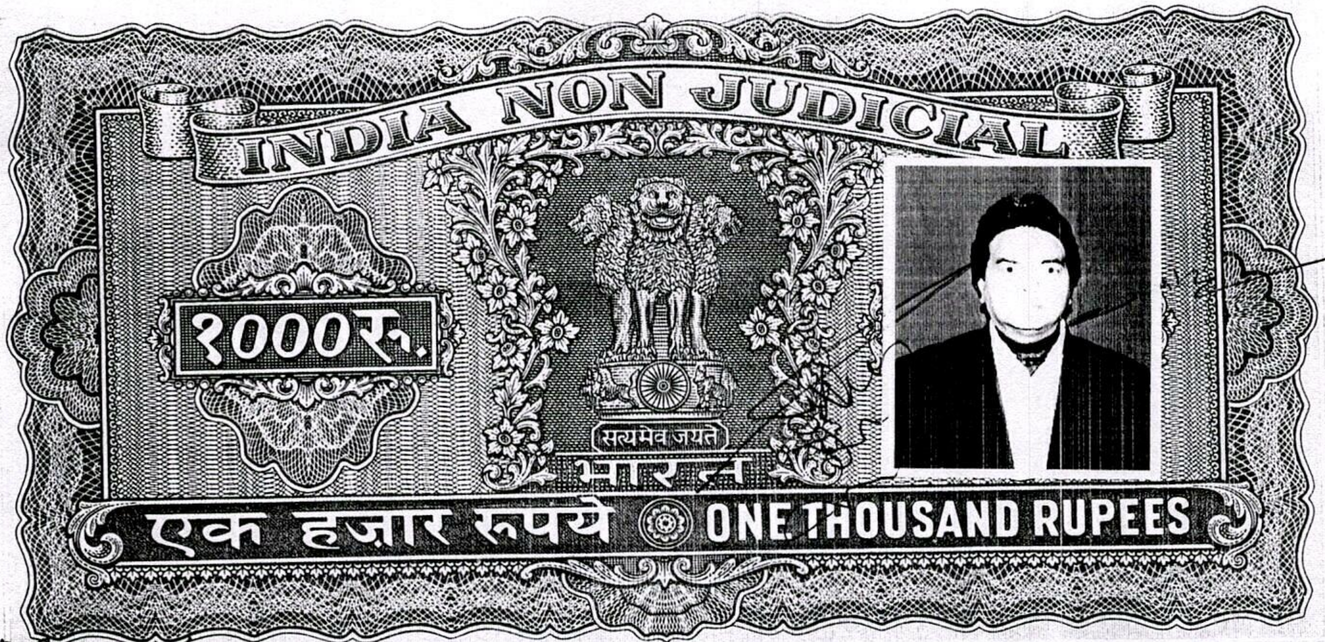

057218

भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त भूमि में लगभग 5 फिट गहरे गढढे है, जिसको कुछ भराव द्वितीय पक्ष ने करा दिया तथा शेष भराव क्रेता स्वयं करा लेने के अधिकारी रहेंगे। अब तृतीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायें, उसमें निर्माण आदि करायें। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के अधिकारी रहेंगे। यदि इस हेतु विक्रेता की रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको समयानुसार पूर्ण करने के पाबन्द रहेंगे, कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई डयूज विक्रीत भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा तथा आज की तिथि के बाद समस्त डयूज एवं टैक्सेज स्वयं तृतीय पक्ष क्रेता

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUS

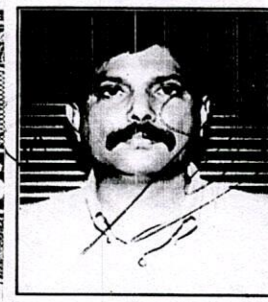

057217

27 MAR 2006

:: 8 ::

वहन करेंगे, कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रीत भूमि अथवा उसका कोई अंश तृतीय पक्ष क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रीत भूमि पर कोई ऋण अथवा भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित हो जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका कोई अंश जैसी स्थिति हो मय हर्जा व खर्चा वापिस चुकता करने का भार हम विक्रेता प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष तथा हमारे उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित हो और उचित समय पर काम आवे। इति।।

सीमायें विक्रीत भूमि :–

पूरब : भूमि वारिसान स्व0 श्री हुकम सिंह।

पश्चिम : भूमि गौरव माहेश्वरी।

उत्तर : भूमि द्वितीय पक्ष।

दक्षिण : आबादी अन्य व्यक्ति।

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य :–

1. अंकनः 1,50,000/–रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) प्रथम पक्ष ने द्वारा चैक संख्या 054942 दिनांक 27.03.2006 ई0 मौसूमा पंजाब नेशनल बैंक, मेरठ प्राप्त किये।

2. अंकनः 2,20,563/–रूपये (दो लाख बीस हजार पाँच सौ तरेसठ रूपये) द्वितीय पक्ष ने द्वारा चैक संख्या 054943 दिनांक 27.03.2006 ई0 मौसूमा पंजाब नेशनल बैंक, मेरठ प्राप्त किये।

कुल मीजान अंकनः 3,70,563/–रूपये।

अन्य विवरण :–

1. विक्रीत भूमि आवासीय है तथा आवासीय हेतु विक्रय की जा रही है ।
2. विक्रीत भूमि के स्थल के लिए जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारित मूल्य सूची के क्रम संख्या 73 के अनुसार सर्किल रेट 1440/–रूपये प्रति वर्ग मीटर है।
3. विक्रीत भूमि में कोई निर्माण नहीं है।
4. विक्रीत भूमि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है ।

नि मायादेवी नि राजेदेवी नि सुदर्शना देवी अमित लाl [illegible]

प्रभातरानी [illegible] SSharma

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32--ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस।

प्रथम पक्ष का नाम व पता :– श्रीमती मायादेवी धर्मपत्नी स्व0 धर्म सिंह निवासी ग्राम शेरगढ़ी परगना व तहसील व जिला मेरठ।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

प्रथम पक्ष का नाम व पता :– श्रीमती राजो देवी पुत्री स्व0 श्री धर्मसिंह व पत्नी श्री बिजे सिंह निवासी ग्राम मसूरी परगना व तहसील व जिला मेरठ।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

उर्मिला

पूनारानी

प्रथम पक्ष का नाम व पता :– श्रीमती सुशीला देवी पुत्री स्व0 श्री धर्म सिंह व पत्नी श्री राजकुमार निवासी ग्राम दान्दूपुर परगना व तहसील व जिला मेरठ ।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

प्रथम पक्ष का नाम व पता :–श्रीमती उर्मिला पुत्री स्व0 श्री धर्मसिंह पत्नी श्री आनन्द प्रकाश निवासी सरायकाजी परगना व तहसील व जिला मेरठ।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

प्रथम पक्ष का नाम व पता :– श्री नरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह निवासी ग्राम शेरगढी परगना व तहसील व जिला मेरठ।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

प्रथम पक्ष का नाम व पता :– पूजा रानी पुत्री स्व0 श्री धर्म सिंह निवासी ग्राम शेरगढी परगना व तहसील व जिला मेरठ।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

पूजा रानी

द्वितीय पक्ष का नाम व पता :—श्री गोपाल माहेश्वरी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी 1, चाणक्यपुरी, मेरठ शहर

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :—

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :—

तृतीय पक्ष का नाम व पता :—सियाराम कस्तूरी देवी एजूकेशनल सोसायटी, 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट द्वारा सचिव श्री सुधीर शर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :—

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :—

D. Ahuja
(Dharmendra Ahuja)
S/o Lt. S.P. Ahuja
3, Aditya Palace, Garh Road, Meerut

तहरीर तारीख: 27.03.2006 ई0 मसविदा श्री देवेन्द्र कुमार गर्ग, प्रालेखक, मेरठ।।

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

आज दिनांक 27/3/06 को मूल प्रलेख

बही ... I ... खण्ड 4809

के पृष्ठ 111/136

2948

उप निबंधक